<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2021 **दायर दिनांकः 07.07.2021**

उनवान

1. रघुनाथ आयु 65 वर्ष पुत्र कजोड़ जाति मेघवाल
2. रामपाल आयु 58 वर्ष पुत्र कजोड़ जाति मेघवाल
3. हजारीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल
4. रामलाल आयु 65 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मेघवाल
5. रामकिशन आयु 72 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा
6. चौथमल आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़
7. बलराम आयु 42. वर्ष पुत्र गोरधन जाति धाकड
8. कमलेश आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड़ निवासीगण कासमपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9001319980

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण आयु 75 वर्ष पुत्र देवा जाति मेघवाल निवासी कासमपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. प्रेम बाई आयु 65 वर्ष पुत्री देवा पत्नि बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी कासमपुरा हाल निवासी टिगरी पोस्ट पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. मथरी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री देवा पत्नि रामनारायण जाति मेघवाल निवासी कासमपुरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी रूपपुरा पोस्ट अजनावर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)
4. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू ज़िला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनाकः 14/05/2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कासमपुरा तहसील अटरू में प्रार्थी क्रम 1 के खाता संख्या 41 का ख.नं. 280 का रकबा 0.37 हे०, प्रार्थी क्रम 2 के खाता संख्या 169 का ख.नं. 232 का रकबा 0.32 हे०, प्रार्थी क्रम 3 व 4 के खाता संख्या 183 का ख.नं. 114 का रकबा 0.49 हे०, ख.नं. 231 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, प्रार्थी क्रम 5 के खाता संख्या 156 का ख.नं. 268 का रकबा 0.76 हे०, प्रार्थी क्रम 6 के खाता संख्या 30 का ख.नं. 227/645 का रकबा 0.50 हे०, ख.नं. 229 का रकबा 0.52 हे0, प्रार्थी क्रम 7 के खाता संख्या 204 का ख.नं. 228 का रकबा 0.66 हे०, ख.नं. 513 का रकबा 0.46 हे0 एवं ग्राम एवं माल बरावदी तहसील अटरू में प्रार्थी क्रम 8 के खाता संख्या 108 का ख.नं. 640/525 का रकबा 0.38 हे० भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थीगण के दर्ज खाता स्थित है। नकल नवीन जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर आने जाने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खाते की वाके ग्राम एवं माल कासमपुरा तहसील अटरूं की खाता संख्या 191 का ख.नं. 281 का रकबा 0.79 हेक्टर आराजी की मेड पर होकर है। उक्त रास्ता मोठपुर कूण्डी मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 281 की मेड पर होकर प्रार्थीगण के खेतों तक आता है। यह रास्ता अप्रार्थीगण के खेत तक तो खुलासा है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने खेत की मेड पर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उक्त रास्ते पर 50–60 वर्ष से निकलते चले आ रहे थे। लेकिन इस वर्ष अप्रार्थी क्रम 1 ने जबरन दादागिरी के बल पर रास्ते को हांक कर रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने से मना किया तो अप्रार्थी क्रम 1 ने कहा कि तुम्हे इस रास्ते से नही निकलने दूंगा। जिससे प्रार्थीगण को आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का संकटं उत्पन्न हो गया है। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में A to B अंकों से प्रदर्शित किया गया है। नंकल जमाबन्दी खाता संख्या 191 अप्रार्थीगण एवं नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त रास्ते बाबत वर्ष 2004 में विवाद हुआ था तब सरपंच ग्राम पंचायत दिलोद हाथी ने रास्ता खुलासा रखने बाबत अतिक्रमियों को पाबन्द किया था तथा वर्ष 2015 में ग्रामवासियों के समक्ष प्रार्थीगण से समझौता करके अप्रार्थी क्रम 1 लक्ष्मण ने रास्ता दिया था। समझौता व तहरीर की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं

गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर अप्रार्थी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगे। जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेतों को नही हंकवा सकेगें तथा प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद नं. 1. में वर्णित उनके स्वामित्व. की आराजी पर आने जाने कृर्षि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खाता संख्या 191 का ख.नं. 281 की मेड पर A to B अंकों से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 4 मीटर चौडाई में दिलाया जावे तथा प्रार्थीगण कों उनके खेतों पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता A to B के. उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा. नही डाले। प्रार्थीगण A to B रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल कासमपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणा–धिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेंश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम कासमपुरा में उनके स्वमित्व की प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में. वर्णित आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थीगण के खाता संख्या 191 का ख.नं. 281 की मेड़ पर A to B अंकों से प्रदर्शित. स्थाई रास्ता 4 मीटर चौडाई में दिलाया जावे। प्रार्थीगण A to B रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी क्रम 4 तहसीलदार साहब को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 4 तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 27.09.2023 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार

अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कासमपुरा की आराजी ख0नं0 280, 232, 114, 231, 268, 227/645, 229, 228, 513 एवं बरावदी के ख0नं0 640/525 का मौका देखा गया। आराजी ख0नं0 114 मौका स्थिति के अनुसार पश्चिम दिशा में स्थित हैं जबकि उपरोक्त ख0नं0 पूर्व दिशा में स्थित है। शेष आराजी ख0नं0 पर पहुचने हेतु रास्ते का मौका देखा गया। उपरोक्त ख0नं0 पर पहुचने हेतु मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा कोई रास्ता दर्ज नही है। उपरोक्त ख0नं0 के खातेदारों द्वारा बताया गया की हम हमारे खेतों तक पहुचने के लिए लगभग 30—40 वर्षो से आराजी ख0नं0 281 में बने रास्ते का उपयोग कर रहे थे किन्तु 3—4 वर्षो से ख0नं0 281 के खातेदार द्वारा अपने खेत में बने प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे हमें अपने खेतों पर जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। आराजी ख0नं0 281 व रोड के मध्य में ख0नं0 285 है जिसमें मौके पर रास्ता बना हुआ है और उपरोक्त ख0नं0 के खातेदारो द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए ख0नं0 285 में से रास्ता नही ले रहे है। सिर्फ आराजी ख0नं0 281 में से रास्ता मिलने पर हम अपने अपने खेतों पर पहुंच जायेगें। आराजी ख0नं0 281 रकबा 0.79 है0 भूमि खातेदार प्रेम बाई पुत्री देवा हिस्सा 1/6 मथरी पुत्री देवा हिस्सा 1/6 लक्ष्मण पुत्र देवा हिस्सा 2/3 जाति मेघवाल निवासी कासमपुरा के नाम खाते दर्ज है। आराजी ख0नं0 281 रकबा 0.79 है में से जाने वाले रास्ते की लम्बाई 136 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रास्ते का क्षेत्रफल 554 वर्ग मीटर है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि ग्राम एवं माल कासमपुरा में प्रार्थी क्रम 1 के खाता संख्या 41 का ख.नं. 280 का रकबा 0.37 हे०, प्रार्थी क्रम 2 के खाता संख्या 169 का ख.नं. 232 का रकबा 0.32 हे०, प्रार्थी क्रम 3 व 4 के खाता संख्या 183 का ख.नं. 114 का रकबा 0.49 हे०, ख.नं. 231 का रकबा 0.01 हे०, प्रार्थी क्रम 5 के खाता संख्या 156 का ख.नं. 268 का रकबा 0.76 हे०, प्रार्थी क्रम 6 के खाता संख्या 30 का ख.नं. 227/645 का रकबा 0.50 हे०, ख.नं. 229 का रकबा 0.52 हे0, प्रार्थी क्रम 7 के खाता संख्या 204 का ख.नं. 228 का रकबा 0.66 हे०, ख.नं. 513 का रकबा 0.46 हे0 एवं ग्राम एवं माल बरावदी में प्रार्थी क्रम 8 के खाता संख्या 108 का ख.नं. 640/525 का रकबा 0.38 हे० भूमि पर आने जाने कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खाते की माल कासमपुरा खाता संख्या 191 का ख.नं. 281 का रकबा 0.79 हेक्टर आराजी की मेड पर होकर है। उक्त रास्ता मोठपुर कूण्डी मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण के खेत ख.नं.

281 की मेड पर होकर प्रार्थीगण के खेतों तक आता है। यह रास्ता अप्रार्थीगण के खेत तक तो खुलासा है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने खेत की मेड पर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वज उक्त रास्ते पर 50–60 वर्ष से निकलते चले आ रहे थे। लेकिन इस वर्ष अप्रार्थी क्रम 1 ने जबरन दादागिरी के बल पर रास्ते को हांक कर रास्ता बन्द कर दिया। उक्त रास्ते बाबत् वर्ष 2004 में विवाद हुआ था तब सरपंच ग्राम पंचायत दिलोद हाथी ने रास्ता खुलासा रखने बाबत अतिक्रमियों को पाबन्द किया था तथा वर्ष 2015 में ग्रामवासियों के समक्ष प्रार्थीगण से समझौता करके अप्रार्थी क्रम 1 लक्ष्मण ने रास्ता दिया था।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(I) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**– तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम कासमपुरा के ख0नं0 280, ख0नं0 232, ख0नं0 114, ख0नं0 231, ख0नं0 268, ख0नं0227/645, ख0नं0 229, ख0नं0 228, ख0नं0 513 व ग्राम बरावदी के ख0नं0 640/525 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(II) **नितान्त आवश्यकता होनाः–** तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।

(III) **सबसे लघुतम रास्ता होनाः–** तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 27.09.2023 के अनुसार ख0नं0 285 से होकर पूर्व से रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम कासमपुरा के ख0नं0 280, ख0नं0 232, ख0नं0 114, ख0नं0 231, ख0नं0 268, ख0नं0227/645, ख0नं0 229, ख0नं0 228, ख0नं0 513 व ग्राम बरावदी के ख0नं0 640/525 तक पहुच हेतु रास्ता दिया जावे तो खसरा नं0 281 से रास्ते की लंबाई 136 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा कराने की सहमति के आधार पर आराजी ग्राम कासमपुरा के ख0नं0 280, ख0नं0 232, ख0नं0 114, ख0नं0 231, ख0नं0 268, ख0नं0227/645, ख0नं0 229, ख0नं0 228, ख0नं0 513 व ग्राम बरावदी के ख0नं0 640/525 तक पहुंच मार्ग हेतु ग्राम व माल कासमपुरा पटवार हल्का दिलोदहाथी के खाता संख्या 191 के खसरा नं0 281 में से 136 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व सहखातेदारी की आराजी आराजी ग्राम कासमपुरा के ख0नं0 280, ख0नं0 232, ख0नं0 114, ख0नं0 231, ख0नं0 268, ख0नं0227/645, ख0नं0 229, ख0नं0 228, ख0नं0 513 व ग्राम बरावदी के ख0नं0 640/525 तक पहुंच हेतु ग्राम व माल कासमपुरा पटवार हल्का दिलोदहाथी के खाता संख्या 191 के खसरा नं0 281 आराजी से 4 मीटर चौडा एवं 136 मीटर लम्बा यानी 544 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.0544 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां